न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 93/2018

रेखा धवन पुत्री आनन्द धवन जाति अरोडा निवासी जी.–66, सिविल लाईन श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. राधिका आहुजा पत्नी अमित आहुजा अरोडा निवासी 21 गांधी नगर, श्रीगंगानगर।

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दिनांक 22.02.2013

उपस्थितिः–

श्री सुभाष मिढा अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

श्री एस.पी. खुराना अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय दिनांक 16.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 177 के तहत पेश कर कथन किया कि चक 17 एम.एल. के मु.नं. 31 के कि.नं. 1/3 की 0.084है0 भूमि अप्रार्थी राधिका के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का कृषि कार्य में उपयोग न होकर मौके पर सड़क, आवासीय मकान एवं प्लॉट काटकर अकृषि कार्य किया जा रहा है जो बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति किया जा रहा है, जो कि गैरकानूनी है।

उक्त प्रा.पत्र पेश होने पर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 06.02.2013 को पत्रावली कायम कर अप्रार्थी के नोटिस जरिये समाचार पत्र में साया करवाकर पत्रावली दिनांक 15.02.2013 को पेश होने का आदेश दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिनांक 15.02.2013 को समाचार पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न होने की आदेशिका अंकित की गई एवं अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने का अंकन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 22.02.2013 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त भूमि बहक सरकार घोषित करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश कर अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपीलांटा को सुनवाई व जबाब देने का अवसर देने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि दिनांक 27.11.2012 को क्रय कर ली थी जबकि अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है जिसका जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपीलांट को सुनवाई व जबाबदेही का अवसर प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि का उपयोग कृषि से गैर कृषि कार्य में होने से तहसीलदार द्वारा अधी. न्यायालय में वाद पेश किया गया एवं खातेदार के नाम से समाचार पत्र में नोटिस साया करवाए गए जिसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. सं. 2 द्वारा अपीलांट को विक्रय कर दी है। रेस्पों. सं. 2 का अपील में कोई हक निहित नहीं है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2013 को पारित किया गया है एवं विवादित भूमि दिनांक 27.11.12 को जरिये रजि. बैयनामा क्रय की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को न तो सुना गया, न ही पक्षकार बनाया गया है जबकि अपीलांट विवादित भूमि की जरिये रजि. बैयनामा क्रेता है एवं बैयनामे के अनुसार अपीलांट को कब्जा सम्भलाया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध दिनांक 23.08.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक विनिर्णयनों में यह अवधारित किया हुआ है कि यहां प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर सारवान बिन्दु निहित हो तो ऐसे प्रकरणों को समयावधि जैसे तकनीकी आधार पर खारिज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है? जैसाकि उपर विवेचित किया जा चुका है कि विवादित भूमि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व दिनांक

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

27.11.2012 को जरिये रजि. बैयनामा अपीलांट द्वारा क्रय की जा चुकी है एवं मुताबिक बैयनामा कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट पूर्णतया हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी. न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करते हुए, जबाबदेही का अवसर देकर जबाब प्राप्त करते हुए उभयपक्षों को विधिवत सुना जाकर राज.काश्त.अधि. 1955 में धारा 177 के प्रकरणों हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर